. तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज गजेन्द्रसिंह बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार लूणी) सू.अ.अ. अपील संख्या 64/2018	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.05.18	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गजेन्द्रसिंह एडवोकेट, पता गांव पोस्ट खुडाला, तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 14.03.2018 में उसके द्वारा (1) राज्य सरकार बनाम केशिया प्रकरण सं0 1599/94 में गांव झंवर के खसरा नं. 603 जो अधिकृत सरकारी भूमि पर अतिचार के विरूद्ध अप्रार्थीगण के खिलाफ मामला सं0 1599/1994 दिनांक 10.10.94 को न्यायालय तहसीलदार लूणी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(3) सपठित धारा 91(6)(अ) के अधीन नोटिस जारी किया गया था व अन्य बिन्दुओं , से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी आज अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष(तहसीलदार लूणी) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में प्रमाणित सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Scanned with CamScanner